मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ. 9-1/2014/नियम/चार भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर 10% महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबध में.

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-5/2013/नियम/चार, दिनांक 3 अक्टूबर, 2013 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 1-7-2013 से मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 90% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है.

राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की जाये. 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी:—

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 1-1-2014 से (माह जनवरी, 2014 की पेंशन/परिवार पेंशन जो फरवरी, 2014 में देय होगी).	पेंशन/परिवार पेंशन का 100%

2. उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिक (Superannuation) सेवानिवृत्त (Retring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी.सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6/43/76/नियम-2/चार, दिनाक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी. ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी. कोई व्यक्ति आदि उसके पति/पत्नि की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी. यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी. इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. एफ. बी 6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ. बी. 6/10/77/नि-2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्र. एफ 12-5/2007/नियम/चार, दिनांक 19 अप्रैल 2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है.

3. ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी.

4. यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहति की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 के अन्तर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं.

5. महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा.

6. राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ. क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें. भुगतान उपरान्त पूर्वानुसार महालेखाकार, मध्यप्रदेश से प्राधिकार प्राप्त होने पर महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये. यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(मिलिन्द वाईकर)

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.